

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 65/2021

दायर दिनांक: 17.03.2021

## **उनवान**

1. गजेन्द्र उम्र 35 वर्ष पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादी

## **बनाम**

1. राजेन्द्र कुमार उम्र 55 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ निवासी सहरोद अटरू जिला बारां राज०।
2. राजस्थान सरकार जय्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

## **वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट**

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री यशद्युमन सिंह।

## **आदेश**

दिनांक: 20/01/2022

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर०टी० एक्ट के तहत विवादित आराजी आराजी वाके ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 124 का ख०नं० 458 रकबा 1.21 है०, खाता सं. 125 का ख०नं० 445 का रकबा 2.56 है०, ग्राम माल सहरोद का खाता संख्या 426 का खं नं. 29 का रकबा 2.85 है०, ख. न. 227 का रकबा 0.91 है०, खं नं. 244/1536 का रकबा 0.23 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 3.99 है० भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/2-1/2 का खातेदार कृषक घोषित कर तहसीलदार अटरू से निर्णय दिनांक 22.04.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दोनों पक्षों की उपस्थित में कब्जे व हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र

क्रमांक/ राजस्व/2021/1727 दिनांक 24.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2021 अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 124 का ख0नं0 458 रकबा 1.21 है0, खाता सं. 125 का ख0नं0 445 का रकबा 2.56 है0, ग्राम माल सहरोद का खाता संख्या 426 का खं नं. 29 का रकबा 2.85 है0, ख. न. 227 का रकबा 0.91 है0, खं नं. 244/1536 का रकबा 0.23 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.99 है0 भूमि में वादी गजेन्द्र पुत्र राजेन्द्र कुमार तथा प्रतिवादी क्रम 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण को हिस्सा 1/2-1/2 का खातेदार कृषक घोषित कर विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है-

क्र. सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म
1.	गजेन्द्र पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति धाकड़ निवासी सहरोद रहन एच.डी.एफ.सी.बैंक बारां के हिस्से में रहेगी।	नृसिंहपुरा	124 125	458 445	1.21 है0 2.56 है0	माल-1 माल-1
				कुल किता 2	3.77 है0	-

क्र. सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म
2.	राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ सा. देह रहन एच.डी.एफ.सी.बैंक बारां के हिस्से में रहेगी।	सहरोद	426	227 244/1536 29	0.91 है0 0.23 है0 2.85 है0	नहरी-2 नहरी-2 माल-1
				कुल किता 3	3.99 है0	-

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

**फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)  
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)  
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

प्रकरण सं0 65/2021

**उनवान**

1. गजेन्द्र उम्र 35 वर्ष पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादी**

**बनाम**

1. राजेन्द्र कुमार उम्र 55 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ निवासी सहरोद अटरू जिला बारां राज0।  
2. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट**

**उपस्थिति :-**

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री यशद्युमन सिंह।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 124 का ख0नं0 458 रकबा 1.21 है0, खाता सं. 125 का ख0नं0 445 का रकबा 2.56 है0, ग्राम माल सहरोद का खाता संख्या 426 का खं नं. 29 का रकबा 2.85 है0, ख. न. 227 का रकबा 0.91 है0, खं नं. 244/1536 का रकबा 0.23 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.99 है0 भूमि में वादी गजेन्द्र पुत्र राजेन्द्र कुमार तथा प्रतिवादी कम 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण को हिस्सा 1/2-1/2 का खातेदार कृषक घोषित कर विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है-

क्र.सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	भूमि की किरम
1.	गजेन्द्र पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति धाकड़ निवासी सहरोद रहन एच.डी.एफ.सी.बैंक बारां के हिस्से में रहेगी।	नृसिंहपुरा	124 125	458 445	1.21 है0 2.56 है0	माल-1 माल-1
				कुल किता 2	3.77 है0	-

क्र.सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	भूमि की किरम
2.	राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ सा. देह रहन एच.डी.एफ.सी.बैंक बारां के हिस्से में रहेगी।	सहरोद	426	227 244/1536 29	0.91 है0 0.23 है0 2.85 है0	नहरी-2 नहरी-2 माल-1
				कुल किता 3	3.99 है0	-

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।  
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)